



स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेशर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद

<https://www.asmcfirozabad.edu.in>

E-mail- gmcfirozabad@gmail.com



संख्या- एफजैडडी/2025-26/470

दिनांक-03.06.2025

नीलामी सूचना

- महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ठेकेदार से समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए खुली नीलामी हेतु प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व न्यूनतम अर्हताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित मूल्य	जमानत धनराशि	नीलामी शुल्क	कार्य करने की अवधि	कार्य सम्पादित कराने वाले अधिकारी का पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	जिला चिकित्सालय परिसर फिरोजाबाद में जीर्ण-शीर्ण/निष्प्रयोज्य पुरानी पानी की टंकी, मैट्टन आवास, टी.बी. एण्ड चेस्ट वार्ड निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण।	रु. 2284000.00 अन्य कर एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त (नियमानुसार)	रु. 228400.00 (अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत) एवं जी.एस.टी. (18%- रु. 41112.00) नियमानुसार कुल धनराशि रु. 269512.00	रु. 2000.00 जी.एस.टी. सहित (डिमाण्ड ड्राफ्ट)	03 माह	प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद

- इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्तें एवं अन्य विवरण कॉलम-8 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट <https://www.asmcfirozabad.edu.in> पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
- नीलामी प्रक्रिया स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के कान्फ्रेंस रूम में दिनांक-27.06.2025 को अपराह्न 01:00 बजे जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
- इच्छुक प्रतिभागी दिनांक-05.06.2025 से दिनांक-25.06.2025 को सांय 05:00 बजे तक समस्त प्रमाण-पत्र एवं कॉलम संख्या-5 पर अंकित जमानत धनराशि रु. 269512.00 (जी.एस.टी. सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय/शिड्यूल बैंक द्वारा "प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद" के नाम में जारी हो तथा कालम सं.-6 के अनुसार नीलामी प्रक्रिया शुल्क (रु. 2000/- समस्त कर सहित) जो कि गैर वापिसी शुल्क होगा (नॉन रिफण्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में "प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद" के नाम से जारी होगा, को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3.6.2025

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,

फिरोजाबाद
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद



स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद

<https://www.asmcfirozabad.edu.in>

E-mail- gmcfirozabad@gmail.com



संख्या- एफजैडडी/2025-26/ 475

दिनांक- 03/06/2025

निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण की नीलामी हेतु

निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण की नीलामी हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के नीलामी सूचना संख्या-एफजैडडी/2025-26/470 दिनांक-03.06.2025 में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि चिकित्सालय परिसर में उपस्थित निष्प्रयोज्य भवनों का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त ही महाविद्यालय में नीलामी हेतु समयान्तर्गत उपस्थित होने का कष्ट करें।

किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर चिकित्सालय में डा. नवीन जैन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मो. नं 8923301119 से सम्पर्क कर सकते हैं।

3.6.25

आज्ञा से

प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी की वैधता इसके प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। वैधता की अवधि में नीलामी प्रपत्र को वापस नहीं लिया जा सकेगा। कार्य पूर्ण करने की अवधि में वर्षा ऋतु भी सम्मिलित है।
2. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा नीलामी की शर्तें एवं अन्य विवरण कॉलम-8 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक देख सकते हैं एवं वेबसाइट <https://www.asmcfirozabad.edu.in> पर नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें ऑनलाइन भी देखी जा सकती हैं।
3. नीलामी प्रक्रिया स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के कान्फ्रेंस रूम में दिनांक-27.06.2025 को अपराह्न 01:00 बजे को जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा गठित समिति के समक्ष आयोजित की जायेगी।
4. इच्छुक प्रतिभागी दिनांक-05.06.2025 से दिनांक-25.06.2025 को सांय 05:00 बजे तक समस्त प्रमाण-पत्र एवं कॉलम संख्या-5 पर अंकित जमानत धनराशि रु. 269512.00 (जी.एस.टी. सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय/शिड्यूल बैंक द्वारा "प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद" के नाम में जारी हो तथा कालम सं.-6 के अनुसार नीलामी प्रक्रिया शुल्क (रु. 2000/- समस्त कर सहित) जो कि गैर वापसी शुल्क होगा (नॉन रिफ़न्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में "प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद" के नाम से जारी होगा, को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी प्रतिभागियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. इच्छुक प्रतिभागी को अपने निवास एवं पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड एवं जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
6. इच्छुक प्रतिभागियों द्वारा नीलामी सूचना में अंकित कॉलम संख्या-4 से अधिक बोली लगाया जाना आवश्यक है। कॉलम संख्या-4 पर अंकित धनराशि से कम बोली स्वीकार नहीं होगी।
7. नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रुपये 2000/- की बढ़ोतरी कर बोली लगायी जायेगी।
8. नीलामी प्रक्रिया में कॉलम संख्या-4 पर अंकित धनराशि से अधिक बोली लगाने वाले प्रतिभागियों में से अधिकतम बोली वाले प्रतिभागी के पक्ष में ही उपरोक्त कार्य सम्पादित करने हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
9. अधिकतम बोलीदाता को कार्य स्थल से लोहा, स्टील, ईटें, लकड़ी एवं मलबा इत्यादि वस्तुओं को ही ले जाने की अनुमति होगी। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य कीमती सामान प्राप्त होता है तो उस पर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद का स्वामित्व होगा, तत्क्रम में बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित सामान को नियमानुसार हस्तान्तरित करना होगा।
10. नीलामी प्रक्रिया में सफल अधिकतम बोलीदाता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण धनराशि समस्त करों सहित (जी.एस.टी. इत्यादि) राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी, जोकि "प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद" के पक्ष में देय होगा। समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात ही कार्य स्थल से लोहा, स्टील, ईटें, लकड़ी एवं मलबा इत्यादि वस्तुओं को ही ले जाने की अनुमति कार्यालय से दी जायेगी।
11. जमानत धनराशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
12. इच्छुक प्रतिभागी जो राज्य विधि काउंसिल में पंजीकृत हो, प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित हैं।
13. प्रतिभागियों को सलाह है कि नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व वास्तविक कार्यस्थल की जांच कर लें।
14. प्रतिभागियों को लागू समस्त जी.एस.टी. इत्यादि स्वयं वहन करना होगा।
15. उपरोक्त कार्य के सम्पादन में समस्त सुरक्षा के उपाय जैसे सेफ्टी प्राविधान इत्यादि एवं लेबर रजिस्ट्रेशन व बीमा व्यवस्था आदि किया जाना भी अनिवार्य है।
16. ताज ट्रिपेजियम जोन में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु समस्त प्राविधान किये जाना अनिवार्य है।
17. कार्य स्थल से मलबा हटाने हेतु समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का समुचित प्रबन्ध किया जाये तथा न्यूनतम 8 किलोमीटर परिधि से बाहर स्थानीय प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मलबा आदि डाला जाये।
18. कार्य स्थल के निकटवर्ती स्थित भवनों को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए अन्यथा की स्थिति में यदि कोई भवन क्षतिग्रस्त होता है या किसी जान-माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।



---2

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद

(2)

19. कार्य स्थल पर ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त जल छिड़काव का प्रबन्ध करना होगा तथा मलबे के डिस्पोजल साइट तक ट्रांसपोर्टेशन में मलबे को ढकने हेतु पर्याप्त ग्रीन कवरींग या तिरपाल का प्रयोग करना होगा।
20. यदि परिसर में ध्वस्तीकरण के दौरान वाटर सप्लाई लाइन, सैनेटरी लाइन, सीवर लाइन, इलेक्ट्रीकल लाइन, इन्टरनेट एवं टेलीफोन लाइन्स इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी एवं कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. नीलामी की प्रक्रिया के समय सभी प्रतिभागियों को शालीनता पूर्वक व्यवहार रखना होगा, शोर-शराबा/हंगामा/दुर्व्यवहार करने वाले प्रतिभागी को नीलामी प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा।
22. नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में समिति का निर्णय ही अन्तिम होगा। नीलामी किसी भी समय बिना किसी कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

3.6.25
प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद